न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 21 / 2024 — दायर दिनांक–05.03.2024

1. रामा देवी पुत्री स्व. राजू पत्नी लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०) हाल निवासी फैनिनो की ढाणी, सिंघासन तहसील व जिला सीकर (राज०)

– आवेदिका

– :: बनाम ::–

1. जगदीश पुत्र राजू
2. हरफूल पुत्र राजू
3. दयाराम पुत्र भागीरथ पौत्र राजू
4. मनीराम पुत्र भागीरथ पौत्र राजू
5. सुभाषचन्द्र पुत्र भागीरथ पौत्र राजू
6. सारा पत्नी भागीरथ पुत्रवधू राजू
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज०)
7. मोहन पुत्र पद्मा नाति
8. सुरेश पुत्र पद्मनाटी त्रिपुरा
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रसियां, खरबासों की ढाणी तहसील गुढा जिला झुन्झुनूं (राज०)
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज०)
10. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)
11. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील अनावेदकगण :– श्री विप्लव पंडित

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक 31.07.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ के क्षेत्र में भूमि खसरा नं. 980 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 983 रकबा 0. 0200 है०, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.5700 है०, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.5100 है०, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.4000 है०, खसरा नम्बर 1382/990 रकबा 1.2200 है०, खसरा नम्बर 1383/991 रकबा 0.1800 है०, खसरा नम्बर 988 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.1600 है०, खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.0600 है० व खसरा नम्बर 990 रकबा 1.4200 है० स्थित है उक्त भूमि कोआगे वादध्प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है।

आवेदिका व अनावेदक संख्या [illegible] राजू पुत्र पेमा के तीन पुत्र भागीरथ, हरफूल व जगदीश हुये तथा दो पुत्रियां रामा[illegible] हुई। भागीरथ का व पदमा का स्वर्गवास हो चुका है। अनावेदक [illegible] है तथा अनावेदक संख्या 7 व 8 स्व. पदमा के वारिस[illegible]। राजू पुत्र पेमा [illegible]वार की वंशावली प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 अनुसार है।

स्व. राजू के सभी पुत्र व पुत्रियां उनकी निर्वसियति सम्प[illegible] हिन्दु उत्तराधिकार अधिनि[illegible] धारा 10 के अनुसार उनकी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हुये। स्व. राजू द्वारा अपनी मृत्यु होने पर छोड़ी गई निर्वसियति सम्पति में उनके पुत्र भागीरथ, हरफूल व जगदीश, पुत्रियां रामादेवी व पदमा तथा उनकी पत्नी बराबर–बराबर हिस्से के उत्तराधिकारी थे। स्व. राजू की पुत्री आवेदिका ने अपने हिस्से को किसी को हस्तान्तरित नही किया। आवेदिका को अपने पिता से उत्तराधिकार में 1/5

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा प्राप्त हुआ। वादग्रस्त सम्पतिमें स्व. राजू की निर्वसियति सम्पति में 1/5 हिस्से की घोषणा आवेदिका के पक्ष में किये जाने हेतु उक्त वाद बाबत घोषणार्थ सेवामें पेश है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त सम्पति के अब से पूर्व सम्वत 2057 से 2060 तक खसरा नम्बर 980 रकबा 0. 13 है०, खसरा नम्बर 983 रकबा 0.02 है०, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.57 है०, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.51 है०, खसरा नम्बर 988 रकबा 0.13 है०, खसरा नम्बर 990 रकबा 2.64 है०, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.58 है०, खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.06 है० व खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.16 है० कुल किता 9 कुल रकबा 4.80 है० रहे। सम्वत 2057 से पूर्व खसरा नम्बर क्रमशः 877, 880, 881, 882, 885, 887, 888, 1636 व 4812/1631 थे। इससे पहले सन् 1985 तस्दीक वर्ष से पूर्व पुराने खसरा नम्बर 608 रकबा 6 बीघा 8 विश्वा, खसरा नम्बर 609 रकबा 2 बीघा 18 विश्वा, खसरा नम्बर 610 रकबा 5 बीघा 8 विश्वा, खसरा नम्बर 723 रकबा 4 बीघा 5 विश्वा कुल किता 4 कुल रकबा 18 बीघा 19 विश्वा थे। वर्तमान में उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है।

वादग्रस्त सम्पति में से कोई भी हिस्सा अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 का स्वयं अर्जित नहीं है बल्कि उक्त सम्पूर्ण भूमि जरिये उत्तराधिकार उनके नाम दर्ज हुई है। आवेदिका अपने पिता की पुत्रीहोने के कारण कानूनन उनकी उत्तराधिकारी है। आवेदिका को अपने पिता द्वारा निर्वसयति छोड़ी गई सम्पति में 1/5 हिस्से की सम्पति जरिये उत्तराधिकार प्राप्त हुई है। वादग्रस्त सम्पति में आवेदिका का 1/5 हिस्सा, अनावेदक संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, अनावेदक संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, अनावेदक संख्या 3 लगायत 6 का 1/5 हिस्सा तथा अनावेदक संख्या 7 व 8 का 1/5 हिस्सा है। वादग्रस्त सम्पत्ति में आवेदिका का 1/5 हिस्सा अलग घोषित किया जाकर विभाजन किये जाने हेतु उक्त वाद/प्रार्थना पत्र सेवामें पेश है।

वादग्रस्त सम्पति को आवेदिका अपने पिता के जीवनकाल में उनके साथ काश्त करती थी आवेदिका के पिता ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त सम्पति को अनावेदकगण को अथवा अन्य किसी को हस्तान्तरित नही किया तथा ना ही अपनी सम्पति की कोई वसीयत निष्पादित की। आवेदिका के पिता स्व. राजू के स्वर्गवास के पश्चात आवेदिका अनावेदकगण के साथ वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से को स्वयं तथा अनावेदकगण से काश्त करवाती रही है, आवेदिका ने अपने पिता से जरिये उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से को अनावेदकगण के पक्ष में समोचित नही किया है। अनावेदक संख्या लगायत 6 ने स्व. राजू के अन्य भाई गिरधारी, किशना व रामदयाल के साथ अन्य सह हिस्सेदारी की भूमि को साथ में लेकर विभाजन करवा लिया जिससे वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में जरिये विभाजन अपना नाम दर्जकरवा लिया तथा बाला–बाला वादग्रस्त भूमि के तीन अलग अलग खाते बनवा लिये। उपरोक्त बाला–बाला की गई प्रक्रिया आवेदिका के अधिकारो के विपरीत शून्य है चूंकि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि में से कोई हिस्सा अनावेदकगण द्वारा स्वयं अर्जित नहीं किया गया है। उक्त सम्पूर्ण भूमि जरिये उत्तराधिकार स्व. राजू के सभी उत्तराधिकारियों में निहित हो गई परन्तु आवेदिका का नाम दर्ज होने से रह गया, इसलिए वादग्रस्त भूमि में 1/5 हिस्से की भूमि आवेदिका के नाम घोषित की जाकर 1/5 हिस्से को अलग किया जाने, अलग खाता लगान व सीमाएँ कायम की जाने हेतु उक्त वादध्प्रार्थना पत्र सेवामें पेश है।

अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 के मन में बेईमानी आ गई है अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 आवेदिका को उसके हक हिस्से से महरूम करना चाहते है। पूर्व में कभी भी अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 ने आवेदिका को उसके हिस्से पर काश्त करने से मना नही किया था। अब दिनांक 25.01.2024 को आवेदिका ने ग्राम पुजारी की ढाणी में स्थित वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि का विकास करने हेतु के.सी.सी. बनवाने के लिए नकले निकलवाई तो आवेदिका को उक्त भूमि में अपना नाम नहीं होने का पता [illegible] लगायत 6 से बात की तो ये लोग उग्र हो गये और कहने लगे कि तुम्हारा [illegible] कोई हिस्सा नहीं है इस भूमि में से हम तुम्हे कुछ भी नहीं देगें। [illegible] नकले प्राप्त की ओर वादध्प्रार्थना पत्र सेवामे प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादग्रस्त भूमि में आवेदिका 1/5 हिस्से की हक अधिकारिणी है। अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 द्वारा आवेदिका के हिस्से की भूमि को बाला–बाला अ[illegible] नाम दर्ज करवा रखा है तथा अनावेदक संख्या 9 व 10 के पास गिरवी रखकर ऋण भी प्राप्त कर रखा है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 द्वारा उक्त कृत्य आवेदिका को उसके हिस्से की कृषि भूमि से महरूम करने के लिए किया गया है तथा अब आवेदिका को उसके हिस्से को काश्त करने में भी बाधा पैदा की जाने लगी है इसलिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

महायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़

अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र सेवामें पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ के क्षेत्र में स्थित भूमि खसरा नं. 980 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 983 रकबा 0 0200 है०, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.5700 है०, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.5100 है०, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.4000 है०, खसरा नम्बर 1382/990 रकबा 1.2200 है०, खसरा नम्बर 1383/991रकबा 0. 1800 है०, खसरा नम्बर 988 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.1600 है०, खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.0600 है० व खसरा नम्बर 990 रकबा 1.4200 है0 के संबंध में ताफैसला दावा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 को जरिये इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त भूमि में आवेदिका के 1к6 हिस्से के कब्जे काश्त में बाधा पैदा नही करें व बिना विभाजन करवाये किसी विशेषित भाग को हस्तान्तरित नही करें। ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ओर ना ही अपने किसी नौकर—चाकर आदि से करवायें मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 02, 08, 09 की ओर से वकील श्री विप्लव पंडित उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक ने आवेदिका के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस प्रकार पेश किया कि :—
प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज अनुसार राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी में खसरा नम्बरान् की भूमि अवस्थित होना स्वीकार है परन्तु आवेदिका ने उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को गलत रूप से विवादित करके उक्त वाद/प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज अनुसार आवेदिका व अनावेदक संख्या 1 लगायत 8 के पूर्वज राजू का होना, राजू के तीन पुत्र भागीरथ, हरफूल व जगदीश होना, दो पुत्रियां रामा देवी व पदमा होना, भागीरथ व पदमा का स्वर्गवास होना, अनावेदक संख्या 3 लगायत 8 का मृतको का उत्तराधिकारी होना स्वीकार है परन्तु आवेदिका ने वंशावली में पदमा के वारिसान को नहीं दर्शाया है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने अस्वीकार है। विवादित आराजी पूर्व में राजूराम की खातेदारी की थी राजूराम के फौत होने पर राजूराम की फौतगी का नामान्तकरण आज से 60—62 साल पूर्व राजूराम के पुत्रान हरफुल, भागीरथ, जगदीश व पत्नी बरजी के नाम भरा गया जो विधि अनुसार तस्दीक किया गया क्योंकि जाट समाज की सामाजिक व्यवस्था, परम्परा, रीति रिवाजो के अनुसार पुत्रियों का अपने पिता की सम्पति में कोई राईट नही था भाई अपनी बहनो के भात, छुछक आदि पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार सम्पन्न करते थे तथा उन्हें अपने ससुराल की सम्पति में ही राईट प्राप्त होते थे तथा मृतखातेदार की सम्पति में पुत्रो व विधवा को ही अधिकार प्राप्त होते थे इसी कारण राजूराम की पुत्रियों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ तथा राजूराम के पुत्रो को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये इसी प्रथा व रिवाज के अनुसार राजूराम के पुत्रान व विधवा के नाम फौतगी का नामान्तकरण बाद जॉच तस्दीक हुआ। आवेदिका व अनावेदक संख्या 7 व 8 की माता पदमा का राजूराम की सम्पति में कोई सरोकार नहीं है ना ही उनका कोई हक अधिकार है ना ही कब्जा काश्त है राजूराम की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड सही बना है तथा फौतगी का नामान्तकरण तस्दीक हुआ है जिसे आवेदिका ने चुनौती नहीं दी है ना ही सक्षम ऑथोरिटी में राजूराम की फौतगी के नामान्तकरण की अपील प्रस्तुत की है इसलिए आवेदिका ने बिना अधिकार के बिना नामान्तकरण को चुनौती दिये उक्त वाद बिना कब्जा काश्त के प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से द[illegible] की विषय वस्तु है राजस्व रिकॉर्ड सही बना हुआ है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से दर्ज है [illegible] होने अस्वीकार है। आवेदिका व अनावेदक संख्या 7 व 8 की माता पदमा का विवादित [illegible] में कोई हक अधिकारनहीं है ना ही कब्जा काश्त है विवादित भूमि [illegible] में काश्त करते थे राजूराम के फौत होन के उपरान्त राजूराम के तीनो पुत्रान् व पत्नी को ही खातेदारी राईट विधि अनुसार प्राप्त हुये तथा राजूराम की पत्नी की मृत्यु के उपरान्त भी फौतगी का नामान्तकरण भी हरफुल, भागीरथ व जगदीश के नाम तस्दीक हुआ जिसको भी आवेदिका ने चुनौती नहीं दी है ना ही सक्षम ऑथोरिटी में अपील प्रस्तुत की है। खातेदारी पुत्रान के नाम से अभिलिखित हुई तथा धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार नवलगढ़ से सहमति के आधार पर विधिवत विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:15 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

का आदेश पारित हुआ है बाद विभाजन राजूराम के पुत्रान विभाजित अंश पर काबिज काश्त है तथा अलग अलग सीमाएँ मौके पर कायम कर रखी है वादिया का ना तो कोई हक अधिकार है ना ही कोई कब्जा काश्त है इसलिए आवेदिका का दर्ज कथन कि आवेदिका व अनावेदक संख्या 7 व 8 का 1/5–1/5 हिस्सा है का कथन निराधार दर्ज किया गया है विवादित भूमि का विधि अनुसार विभाजन हो चुका है आवेदिका ने विभाजन आदेश को भी चुनौती नहीं दी है ना ही विभाजन आदेश की अपील प्रस्तुत की है इसलिए विभाजित अंश के संबंध में पुनः विभाजन की रिलिफ प्रदत नहीं की जा सकती है ना ही खातेदारी रिऑपन की जा सकती है वैसे भी विभाजन दर्ज खातेदारों के मध्य होता है आवेदिका विवादित भूमि की खातेदार नहीं है ना ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है इसलिए कानूनन आवेदिका विभाजन की रिलिफ प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने अस्वीकार है। आवेदिका का उक्त मद में दर्ज कथन कि वादग्रस्त सम्पति को आवेदिका अपने पिता के जीवनकाल में उनके साथ काश्त करती थी दर्ज होने से रह गया एक साथ व अलग अलग रूप से अस्वीकार है। राजूराम की मृत्यु 60–62 साल पूर्व हो चुकी है राजूराम के फौत होने पर फौतगी का नामान्तकरण विधि अनुसार राजूराम के पुत्रान् व पत्नी के नाम तस्दीक हुआ। हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत सन् 2005 के पश्चात पुत्रियों को पिता की सम्पति में अधिकार प्रदत किये गये अर्थात पुत्री को भी सन 2005 के बाद पुत्र के समान, समान अधिकार दिये जाने का प्रावधान किया गया अर्थात पिता की सम्पति में पुत्रियों को अधिकार 2005 के बाद प्रदत किये गये यदि पिता की मृत्यु दिनांक 09.09.2005 से पूर्व हो जाती है तो पुत्रियों को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते। हिन्दु उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 का प्रभाव प्रोस्पेक्टिव है ना कि रेक्ट्रोस्पेक्टिव। चूंकि राजूराम की मृत्यु 2005 से पहले ही करीब 60–62 साल पूर्व ही हो गई इसलिए आवेदिका का विवादित भूमि में कानूनन कोई अधिकार नहीं है ना ही आवेदिका किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है चूंकि विवादित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड राजूराम के पुत्रान् के नाम अभिलिखित हुआ तथा दर्ज खातेदारी के अनुसार विभाजन आदेश भी पारित हुये है जिस जिस पुत्र के जो भूमि हिस्से में आई उनके नाम विभाजन आदेश के उपरान्त खातेदारी सेपरेट दर्ज है इसलिए आवेदिका को कानूनन खातेदारी रिऑपन करवाने का विधिक अधिकार नही है आवेदिका ने विरूद्ध कानून वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने अस्वीकार है। आवेदिका का उक्त मद में दर्ज कथन कि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 के मन मेंबेईमानी आ गई है अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 आवेदिका को उसके हिस्से से महरूम करना चाहते है अस्वीकार है।

जब आवेदिका का कोई हक अधिकार ही नहीं है ना ही कब्जा काश्त है तो आवेदिका कौनसे हिस्से से महरूम करने का कथन दर्ज कर रही है आवेदिका का कोई कब्जा काश्त नहीं है इसलिए काश्त करने से मना नहीं करने का कथन दर्ज करना हास्यास्पद प्रतीत होता है। आवेदिका ने दिनांक 25.01.2024 को केसीसी बनवाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने के आधार पर रिकॉर्ड की जानकारी होने का अभिवचन किया है जो किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है क्यों कि राजस्व रिकॉर्ड कभी भी आवेदिका के नाम नही रहा है ना ही कभी वादग्रस्त भूमि पर आवेदिका द्वारा केसीसी ऋण लिया गया है दिनांक 25.01.2024 को ही ऋण लेने का कथन दर्ज करना मात्र दावा/प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से दर्ज किया गया है। वास्तव में अनावेदक संख्या 1, 3 लगायत 6 व आवेदिका आपस में मिले हुये है अनावेदक संख्या 1, 3 लगायत 6 अनावेदक संख्या 2 से रंजिश रखते है और इसी रंजिश [illegible] अनावेदक संख्या 1, 3 लगायत 6 ने आवेदिका को मोहरा बनाकर उक्त वादध्प्रार्थना पत्र [illegible] है वादग्रस्त भूमि के संबंध में उत्तरदाता काआवेदिका से कभी हिस्से बाबत कोई बातचीत [illegible] हुई है मात्र कल्पना के आधार पर कथन दर्ज करके उक्त वादध्प्रार्थना [illegible] खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 जिस प्रकार [illegible] होने अस्वीकार है। आवेदिका का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है राजस्व रिकॉर्ड बाद प्रक्रिया दर्ज हुआ है तथा वितिय संस्था से ऋण प्राप्त किया है। जहाँ तक कब्जा काश्त में बाधा पैदा करने का प्रश्न है आवेदिका का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है ना ही राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी आवेदिका के नाम से अभिलिखित है इसलिए आवेदिका अभिलिखित खातेदार व कब्जा धारक के विरूद्ध कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2026.12.29 14:21:13 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतिरोक्तर

वादग्रस्त भूमि राजूराम की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी राजूराम के फौत होने पर फौतगी का अंतकाल राजूराम के पुत्रान् व विधवा के नाम तस्दीक हुआ तथाराजूराम की विधवा के फौत होने पर फौतगी का अंतकाल पुत्रान् के नाम तस्दीक हुआ राजूराम के पुत्रान् ने कानूनन वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से विभाजन करवाया है परन्तु आवेदिका ने सक्षम ऑथोरिटी में फौतगी के अंतकाल व विभाजन आदेश को चुनौती नहीं दी ना ही अपील प्रस्तुत की इसलिए आवेदिका का वादध्रार्थना पत्र फौतगी के अंतकाल व विभाजन आदेश को चुनौती दिये अपील किये कानूनन खारिज होने योग्य है।

वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के नाम से अभिलिखित है तथा बाद विभाजन अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 अपने विभाजित अंश पर काबिज काश्त है आवेदिका का ना तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम अभिलिखित है ना ही आवेदिका का कब्जा काश्त है आवेदिका ने बिना बेदखली की इस्तदुओं के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कानूनन अभिलिखित खातेदार व कब्जा धारक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है फलस्वरूप आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) 2005 के अनुसार पुत्रियों को अधिकार सन 2005 के बाद प्रदत किये गये अर्थात उन्हें सहदायिक सदस्य मानने का कानून सन् 2005 में लागू हुआ जबकि राजूराम के पुत्रान् को खातेदारी सन 2005 से पूर्व ही प्राप्त हो चुकी थी अर्थात कानून आने से पूर्व ही राजूराम के पुत्रान को खातेदारी प्राप्त हो गयी बाद खातेदारी अधिकार राजूराम के पुत्रान् ने विभाजन करके अलग अलग खातेदारी दर्ज करवा रखी है। पुत्री को अधिकार तभी मिलता है जब दिनांक 09.09. 2005 को पिता जीवित हो अर्थात उक्त दिनांक से पहले पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्रियों को कोई अधिकार अर्जित नहीं होते। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम (संशोधन) 2005 का प्रभाव रेस्ट्रोस्पेक्टिव ना होकर प्रोस्पेक्टिव है इसलिए आवेदिका को विभाजन के उपरान्त खातेदारी रीऑपन करवाने का विधिक अधिकार नहीं है ना ही आवेदिका किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है आवेदिका का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र में कानूनन मियाद की विशिष्टी को दर्ज किया जाना आज्ञापक प्रावधान है ना केवल दर्ज किया जाना अपितु मियाद के बिन्दु को स्पष्ट किया जाना भी आज्ञापक प्रावधान है कि आवेदिका का वादध्रार्थना पत्र मियाद मेंकैसे है आवेदिका ने घोषणा, विभाजन व अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद ६ प्रार्थना पत्र दायर किया है जो नामान्तकरण प्रविष्टी के 60–62 साल बाद दायर किया है जिसकी आवेदिका को शुरू से जानकारी है परन्तु आवेदिका ने कोई तात्विक कार्यवाही इस हेतु नही की ना ही कोई कदम उठाया जबकि अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करके भौतिक रूप से मौके पर काबिज है आवेदिका ने विधिक प्रावधानो के विपरीत मियाद बाहर उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदिका का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा–खर्चा सहित खारिज फरमाया जावें।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों अप्रार्थी ने जबाब के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु अनिवार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है :–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested

- **प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन :– दोनों बिन्दुओं को एक साथ विवेचन किया जा रहा है।**

राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ के क्षेत्र में स्थित भूमि खसरा नं. 980 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 983 रकबा 0 0200 है०, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.5700 है०, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.5100 है०, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.4000 है०, खसरा नम्बर 1382/990 रकबा 1.2200 है०, खसरा नम्बर 1383/991रकबा 0.1800 है०, खसरा नम्बर 988 रकबा 0.1300

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक

है०, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.1600 है०, खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.0600 है० व खसरा नम्बर 990 रकबा 1.4200 है0 भूमि शामलाती तथा पैतृक संपति है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से भूमि पैतृक होना साबित है जिसमें आवेदिका का हक हिस्सा तय होना है। जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकोर्डेड काश्तकार के विरूद्व भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अगर उक्त पैतृक आराजी खुर्द बुर्द हो जाती है तो वाद बहुलता होगी तथा आवेदिका को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया मामला आवेदिका के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति :– उपरोक्त दोनो बिन्दु आवेदिका के पक्ष में होने से तथा विवादग्रस्त भूमि आवेदिका के कब्जे काश्त में होने से अपूरणीय क्षति आवेदिका के पक्ष मे है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ़ के क्षेत्र में स्थित भूमि खसरा नं. 980 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 983 रकबा 0 0200 है०, खसरा नम्बर 984 रकबा 0.5700 है०, खसरा नम्बर 985 रकबा 0.5100 है०, खसरा नम्बर 991 रकबा 0.4000 है०, खसरा नम्बर 1382/990 रकबा 1.2200 है०, खसरा नम्बर 1383/991रकबा 0.1800 है०, खसरा नम्बर 988 रकबा 0.1300 है०, खसरा नम्बर 1122 रकबा 0.1600 है०, खसरा नम्बर 1128 रकबा 0.0600 है० व खसरा नम्बर 990 रकबा 1.4200 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 10.07.2024 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:21:13 IST
Reason: SelfAttested